

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ
एकलपीठ आपराधिक रिट याचिका संख्या 1657/2021

मेसर्स विवेक फार्माकेम (इंडिया) लिमिटेड, एनएच 8, चिमनपुरा, आमेर, जिला जयपुर-303112, अपने अधिकृत सिंगेनरी और निर्देशक श्री कुलदीप गुप्ता के बेटे श्री राजकुमार गुप्ता के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी.।
2. ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर खेलरी फाटक, कोटा।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री तरुण कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री अतुल शर्मा, पीपी

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार
आदेश

रिपोर्टबल

12/05/2022

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका की पृष्ठभूमि यह है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने 23.12.2020 को याचिकाकर्ता को एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया था कि कुछ दवाओं को ड्रग स्टोर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कोटा से जब्त किया गया था और हाउस कीपर ने बताया कि उसने उक्त दवाओं की खरीद जिला ड्रग व्हेयरहाउस, कोटा से की थी और डीडीडब्ल्यू ने सूचित किया कि याचिकाकर्ता उक्त दवाओं का निर्माता है। इंस्पेक्टर ने याचिकाकर्ता को यह बताया कि दवाएँ उक्त नोटिस में उल्लिखित कारणों से मानक गुणवत्ता की नहीं थीं। नोटिस की एक प्रति अनुलग्नक-4 पर है।

याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि उसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 23 (3) के प्रावधान के अंतर्गत लिए गए कुल चार नमूनों में से एक हिस्से की आपूर्ति की जाए।

विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि नमूनों के चार सेट लिए गए थे, जैसाकि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 23 (4) में उपबंध किया गया है। अनुलग्नक-4 में दिए गए नोटिस से, यह स्पष्ट है कि जिला ड्रग्स वेयरहोज, कोटा ने अधिनियम की धारा 18क के तहत खुलासा किया कि दवा याचिकाकर्ता से खरीदी गई थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 18 क के साथ पठित धारा 23 (4) (iii) के तहत विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि याचिकाकर्ता को दवाओं के नमूने का एक सेट प्रदान किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री

अधिनियम में निहित प्रावधानों के जनादेश के विरुद्ध, सीखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विविध आवेदन संख्या 739/2021 में दिनांक 05.03.2021 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश द्वारा उसमें कि गई प्रार्थना को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नमूने का एक हिस्सा पहले से ही जिला ड्रग्स वेयरहाउस कीपर को प्रदान किया गया था, इसलिए, विधि का पर्याप्त अनुपालन किया गया है। उक्त आदेश को आपराधिक विविध सी.आई.एस. संख्या 138/2021 में विद्वत सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी और इस मामले की सुनवाई विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 3 कोटा द्वारा की गई थी, जिन्होंने उसी कारण पर भरोसा करते हुए अपने 20.09.2021 के आदेश द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिन्हें विद्वत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज भी किया गया था। दोनों आदेश इस याचिका में चुनौती के अधीन हैं क्योंकि दोनों निचली अदालतें विधि के अनुसार अधिकारक्षेत्र का उपयोग करने में विफल रही हैं।

प्रत्यर्थीगण के विद्वत अधिवक्ता ने कहा कि विधि का पर्याप्त अनुपालन किया गया है क्योंकि ड्रग्स स्टोर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, विगयान नगर, कोटा से दवाएँ जब्त की गई थीं और उस प्राधिकरण ने धारा 18क के तहत खुलासा किया कि उसने जिला औषधि गोदाम, कोटा से दवा प्राप्त की थी, जिसे एक नमूना की पहले से ही आपूर्ति की गई थी। याचिकाकर्ता को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के तहत एक अन्य नमूने के लिए कहीं भी कोई अधिकार नहीं था।

हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक, धारा 23, उप-धारा (1) से (4) की विषय-वस्तु है, जो नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“(1) जहां कोई इंस्पेक्टर इस अध्याय के तहत किसी दवा [या प्रसाधन सामग्री] का कोई भी नमूना लेता है, तो वह उसका उचित मूल्य प्रदान करेगा और उसके लिए लिखित पावती की आवश्यकता हो सकेगी।

(2) जहां उप-धारा (1) के तहत टेंडर की गई कीमत से इनकार कर दिया गया है या जहां इंस्पेक्टर धारा 22 के खंड (ख) के तहत किसी भी दवा [या प्रसाधन सामग्री] के स्टॉक को जब्त कर लेता है, वह निर्धारित रूप में उसकी एक रसीद प्रदान करेगा।

(3) जहां कोई इंस्पेक्टर परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य के लिए किसी दवा [या प्रसाधन सामग्री] का नमूना लेता है, वह उस व्यक्ति को, जिससे वह नमूना लेता है, उसकी उपस्थिति में, लिखित रूप में इस तरह के उद्देश्य की सूचना देगा, जब तक वह खुद को अनुपस्थित नहीं करता है, और, नमूनों को चार भागों में विभाजित करेगा और उन्हें प्रभावी रूप से सील करेगा और उन्हें उपयुक्त रूप से चिह्नित करेगा और ऐसे व्यक्ति को अपनी खुद की सील जोड़ने और सभी या किसी भी हिस्से को चिह्नित करने की अनुमति देगा, जिसे उसके द्वारा सील और चिह्नित किया गया है:

परंतु यह कि जहां नमूना ऐसे परिसर से लिया जाता है जहाँ पर

दवा [या प्रसाधन सामग्री] का निर्माण किया जा रहा है, तो नमूने को केवल तीन भागों में विभाजित करना अपेक्षित होगा:

परंतु यह भी कि जहां दवा [या प्रसाधन सामग्री] छोटी मात्रा के कंटेनरों में बनाई गई है, तो नमूने को पूर्वोक्त के रूप में विभाजित करने के बजाय, इंस्पेक्टर, यदि दवा [या प्रसाधन सामग्री] ऐसी हो, जिसके बाहर निकालने पर बिगड़ने या अन्यथा क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, उक्त कंटेनरों को उपयुक्त रूप से चिह्नित करने के बाद और, जहां आवश्यक हो, उन्हें सील करने के बाद, यथास्थिति, उनके तीन या चार नमूने लेगा।

(4). इंस्पेक्टर इस प्रकार विभाजित किए गए नमूने के एक हिस्से को या एक कंटेनर को, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति को, जिससे वह इसे लेता है, प्रदान करेगा और शेष को अपने पास रखेगा और निम्न प्रकार ही उनका निपटान करेगा:-

(i) वह उसका एक भाग या कंटेनर परीक्षण या विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषक को भेजेगा;

(ii) दूसरा भाग वह एकत्र की गई दवा [या प्रसाधन सामग्री] के संबंध में कार्यवाही, यदि कोई है, आरंभ होने से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करेगा; और

[(iii) तीसरा भाग, जहां लिया गया है, वह उस व्यक्ति, यदि कोई हो, को भेजेगा जिसके नाम, पते और अन्य विवरण का खुलासा धारा 18क के तहत किया गया है।

अधिनियम की धारा 18क इस प्रकार है:-

"18क. निर्माता के नाम का प्रकटीकरण, आदि।

"प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी दवा या प्रसाधन सामग्री का निर्माता नहीं है, या उसके वितरण के लिए उसका एजेंट, यदि आवश्यक हो, इंस्पेक्टर को उस व्यक्ति के नाम, पते और अन्य विवरणों का खुलासा करेगा, जिनसे उन्होंने दवा या प्रसाधन सामग्री का अधिग्रहण किया था।"

उपरोक्त धारा 23 (4) (iii) के प्रावधानों का एक सरसरी तौर पर अवलोकन यह स्पष्ट कर देता है कि नमूने का एक हिस्सा उस व्यक्ति को भेजा जाएगा, जिसके नाम और पते का खुलासा धारा 18क के तहत निर्माता के रूप में किया गया है। अधिनियम की धारा 18क के अनुसार निर्माता के नाम के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है और न केवल स्टॉकिस्टों के।

याचिकाकर्ता को दिए गए नोटिस से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के नाम का खुलासा धारा 18क के तहत निर्माता के रूप में किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता लंबित कार्यवाही में अपने अधिकार और रुचि की रक्षा/बचाव के लिए जब्त दवाओं का एक नमूना प्राप्त करने के लिए पात्र है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आपने तर्क के समर्थन में **लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया**

लिमिटेड एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2018) 15 एससीसी 93 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है और यह कहा कि याचिकाकर्ता-निर्माता को नमूने के एक हिस्से की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में, याचिकाकर्ता के मूल्यवान अधिकार प्रभावित होंगे, इसलिए, विधि के अधिदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

उक्त संदर्भित विधि के प्रावधान, साथ ही साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री सरल और स्पष्ट है कि धारा 18क के तहत प्रश्नगत दवाओं की खरीद के अन्य खुलासों के अलावा निर्माता के नाम का भी खुलासा किया जाना है, तथा ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा जारी याचिकाकर्ता को नोटिस से यह स्पष्ट है कि धारा 18क नाम के तहत याचिकाकर्ता का निर्माता के रूप में खुलासा किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 23 (4) (iii) के तहत जव्त नमूने के एक हिस्से को प्राप्त करने के लिए पात्र था।

तदनुसार, यह निर्णय दिया जाता है कि दोनों ही निचले न्यायालय निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करने में विफल रहे हैं जिससे न्याय नहीं हो पाया है, इसलिए, आक्षेपित आदेश संधारणीय नहीं हैं। उन्हें एतद्वारा अनुसार समाप्त किया जाता है, और यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत जव्त किए गए नमूने के एक हिस्से की आपूर्ति की जाए।

तदनुसार याचिका की अनुमति प्रदान की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

Ashvani /-61

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।